प्रेषक,

आजाद सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 07, कानपुर नगर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

विषयः पुरानी पेंशन योजना (OLD PENSION SCHEME) का विकल्प ग्रहण करने हेतु अनुरोध पत्र।

महोदय,

1. ससम्मान निवेदन है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्गत "शासनादेश सं०– 14/2024/ सा–3–243/ दस–2024/301(1)/2024 दिनांकितः 28.06.2024" द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2005 के पूर्व हो चुका था। इस परिधि में आने वाले सरकारी सेवकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प ग्रहण करने की व्यवस्था प्रदान की गयी है।

2. इस सन्दर्भ में सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा विज्ञप्ति सं0 A-2/E-1/2003 का विज्ञापन 22–28 नवम्बर 2003 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। जिसके अनुक्रम में प्रार्थी की नियुक्ति सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग–4 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 2430/II-4-06-32(1)/2001 T.C.-1 दिनांकः 26 मई, 2006 द्वारा हुई है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी Notification No. 1178/DR(S)/2006 Dated: Allahabad: June 13, 2006 के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांकः 20.06.2006 को जनपद न्यायालय मथुरा, उत्तर प्रदेश में अपर सिविल जज, (कनिष्ठ वर्ग) कक्ष संख्या 02 का पदभार ग्रहण किया गया था। वर्तमान

में प्रार्थी अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) से आच्छादित है। जारी शासनादेश के अनुसार प्रार्थी की नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत है।

3. राज्य सरकार उत्तर प्रदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0– 14/2024/ सा–3–243/ दस–2024/301(1)/2024 दिनांकितः 28.06.2024 तथा शासनादेश सं0– 20/2024/ सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकितः 11 जुलाई, 2024 द्वारा अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प ग्रहण किये जाने की व्यवस्था प्रदान की गयी है, इसके अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी पत्रांक सं0 9283/VIIb-104/Admin D Section Dated 08-07-2024 व 9691/IV-F-82 (Pension)/Admin.(A) Dated 16-07-2024 के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना के विकल्प ग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

4. प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) को परित्याग करते हुए **''पुरानी पेंशन योजना''** का विकल्प ग्रहण करता है। जिसके लिये प्रार्थी शासनादेश सं0– 20/2024/ सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकितः 11 जुलाई, 2024 के अनुसार निर्धारित प्रारुप पर **''पुरानी पेंशन योजना''** में सम्मिलित होने के लिए विकल्प पत्र प्रेषित कर रहा है।

5. माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर **''पुरानी पेंशन योजना''** में सम्मिलित होने का विकल्प पत्र माननीय न्यायालय व सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रार्थी सदैव आभारी रहेगा।

सादर।

03.08.2024

(आजाद सिंह)
ID UP6399
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 07, कानपुर नगर।

दिनांकः 03.08.2024

संलग्नकः विकल्प पत्र।

<u>कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर।</u>

पत्रांकः 1854/I /कानपुर नगर दिनांकः 03/08/2024
महानिबंधक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

जनपद न्यायाधीश
कानपुर नगर